न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 08 / 2017 　　　　　　　　　　　　　　　　दायरा दिनांक 14.07.2017

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. घासीलाल पुत्र अमरचन्द जाति खाती निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला–बारां
2. रतनलाल पुत्र जयलाल जाति खाती निवासी 3 नं गेट के पास सकतपुरा कोटा
3. राजू पुत्र जयलाल जाति खाती निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला–बारां
4. विद्या पत्नि पप्पू पुत्री जयलाल निवासी चिलावद तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (मध्यपद्रेश)
5. सुशीला पत्नि कल्याण पुत्री जयलाल निवासी बापचा तहसील छबडा जिला बारां राज.

– **अपीलाण्ट**

बनाम

1. चुन्नी पुत्र अमरचन्द जाति खाती निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
2. केसरीलाल पुत्र अमरचन्द जाति खाती निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
3. मुरारी पुत्र अमरचन्द जाति खाती निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
4. बलवीर पुत्र रामदयाल जाति खाती निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
5. गुडडी पत्नि कैलाश पुत्री रामदयाल निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
6. अनिता पत्नि विद्या पुत्री रामदयाल निवासी अटा तहसील कोलारस जिला–शिवपुरी (म.प्र.)
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहबाद।

– **रेस्पोडेण्ट**

उपस्थित :–

श्री अरविन्द्र शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट।
श्री चन्दमोहन वर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

निर्णय 　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 13.10.2022

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 256 दिनांक 17.06.1992 ग्राम नाटई

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.06.1992 ग्राम नाटई को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम नाटई में खसरा नम्बर 50 / 108 रकबा 5.00 बीघा, खसरा नम्बर 50 / 121 रकबा 1.02 बीघा किता 2 कुल रकबा 6.02 बीघा कृषि भूमि के मूल खातेदार अमरचन्द पुत्र मोहनलाल जाति खाती थे। मृतक अमरचन्द के पॉच पुत्र अपीलान्ट क्रम 1 व अपीलान्ट क्रम 2 लगायत 5 के पिता जयलाल तथा रेस्पोडेण्ट क्रम 1 से 3 तथा 1 पुत्री संतोष जो फोत हो चुकी है। जिसके वारिसान रेस्पोडेण्ट क्रम 4 लगायत 6 है तथा अमरचन्द की मृत्यु के वक्त उनकी पत्नि गुलाब बाई मौजूद थी जो फोत हो चुकी है। अमरचन्द के तस्दीक किये गये अपीलाधीन फोती इन्तकाल में राजस्व कर्मियों ने रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 3 व 4 लगायत 6 की मां संतोष का नाम ही दर्ज किया जबकि अपीलान्ट क्रम 1 व 2 लगायत 5 के पिता जयलाल जो मृतक अमरचन्द के पुत्र होकर अमरचन्द की [illegible] थे का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन अमरचन्द के फोती इन्तकाल में अमरचन्द [illegible] लाल व जयलाल का नाम दर्ज नही किया केवल रेस्पोडेण्ट क्रम 1 से 3 व संतोष [illegible] कर दिया जो सर्वथा अवैध हिन्दू उत्तराधिकार कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 3 ने विवादित आराजी विक्रय करने के लिए खरीददारों को जमीन दिखाना शुरू किया तो अपीलान्ट ने दि[illegible]7.07.2017 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.12 09:57:33 IST
Reason: SelfAttested

हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी व अपीलाधीन इन्तकाल की नकलें प्राप्त की तब सर्वथा अवैध विधि विरूद्ध अपीलाधीन इन्तकाल का ज्ञान हुआ। तिथि जानकारी से अपील मध्य पेश है।

वकील रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 ता 3 की ओर से जबाब् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 3 के पिता अमरचन्द का स्वर्गवास सन् 1972 से पूर्व हो गया था अपने जीवनकाल में अपने सामने समस्त सम्पत्तियों चल व अचल का बंटवारा करके कब्जा संभला गये थे। पिता अमरचन्द का फौती नामान्तरकरण उनके फौत होने के 20 वर्ष बाद हमारी माताजी गुलाब बाई के जीवनकाल में खोला गया था जो पूर्व के बंटवारा अनुसार माताजी की सहमति से खोला गया था। अपीलान्ट ने माताजी के स्वर्गवास होने के बाद अपील नामान्तरकरण की गई है। जिससे कोई साक्षी बंटवारा का पेश नहीं किया जा सके। पिता जी को फोत हुये करीब 47 वर्ष हो चुके है। तभी से रेस्पोडेण्ट पिता द्वारा किये गये बंटवारा के अनुसार आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलान्ट को पिता अमरचन्द के 47 वर्ष पूर्व फौत होने की जानकारी होने के बाद अति बिलम्ब से अपील पेश की गई है। बिलम्ब का कोई न्योचित कारण भी नहीं है। इस कारण अपील मियाद बाहर होने से काबिल खारिज है।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अमरचन्द के तस्दीक किये गये अपीलाधीन फोती इन्तकाल में राजस्व कर्मियों ने रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 3 व 4 लगायत 6 की मां संतोष का नाम ही दर्ज किया जबकि अपीलान्ट क्रम 1 व 2 लगायत 5 के पिता जयलाल जो मृतक अमरचन्द के पुत्र होकर अमरचन्द की जायदाद के विरासतन अधिकारी थे का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन अमरचन्द के फोती इन्तकाल में अमरचन्द के पुत्र घासीलाल व जयलाल का नाम दर्ज नही किया केवल रेस्पोडेण्ट क्रम 1 से 3 व संतोष का नाम दर्ज कर इन्तकाल तस्दीक कर दिया जो सर्वथा अवैध हिन्दू उत्तराधिकार कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। हमने ग्राम नाटई के मूल इंतकाल नं. 256 दिनांक 17.06.1992 का अवलोकन किया जिसमें अमरचन्द के फौती इन्तकाल में अमरचन्द के पुत्र घासीलाल व जयलाल का नाम दर्ज नहीं किया गया। केवल रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 3 व संतोष का नाम तस्दीक किया गया है। तथा अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण में अंकित नहीं किया गया है। जो विधिक रूप से सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का नाम छोडा जाना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम नाटई का इंतकाल नं. 256 दिनांक 17.06.1992 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से प्रकरण की भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार वास्तविक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। मूल इंतकाल नं. 256 दिनांक 17.06.1992 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.12 09:57:33 IST
Reason: SelfAttested